

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 23—एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025

मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2025 कहा जा संक्षिप्त नाम। सकता है।
2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से वर्ष 2025-26 के अनधिक ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹4251,04,93,881/- (केवल चार हजार लिए हरियाणा दो सौ इक्यावन करोड़ चार लाख तिरानवे हजार आठ सौ इक्यासी रुपये) होती है, राज्य की संचित ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट निधि में से ₹4254,04,93,881/- सेवाओं के बारे में, मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष का दिया जाना। 2025-26 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।
3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने विनियोग। और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

					अनु
मांग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष	राशियाँ, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़
		राजस्व	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
01	विधान सभा	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	4,31,00,000	...	4,31,00,000
		कुल	4,31,00,000	...	4,31,00,000
02	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	2013-मंत्रीपरिषद्	5,00,00,000	...	5,00,00,000
		कुल	5,00,00,000	...	5,00,00,000
03	सामान्य प्रशासन/निर्वाचन	2051-लोक सेवा आयोग	200,00,00,000	...	200,00,00,000
		2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएँ	1,60,00,000	...	1,60,00,000
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10,00,000	...	10,00,000
		कुल	201,70,00,000	...	201,70,00,000
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन /अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएँ)/आबकारी एवं कराधान	2029-भू-राजस्व	34,00,00,000	...	34,00,00,000
		2053-जिला प्रशासन	98,00,00,000	...	98,00,00,000
		...	...	...	...
		कुल	132,00,00,000	...	132,00,00,000

सूची

मुख्य शीर्ष	राशियाँ, जो निम्नलिखित से अधिक न हो		जोड़	जोड़
पूँजीगत	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूँजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	4,31,00,000
	...	...	...	4,31,00,000
	...	...	...	5,00,00,000
	...	...	...	5,00,00,000
	...	...	...	200,00,00,000
	...	...	...	1,60,00,00,000
	...	...	...	10,00,000
	...	...	...	201,70,00,000
	...	...	...	34,00,00,000
	...	...	...	98,00,00,000
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000
कुल	1,00,000	...	1,00,000	132,01,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/ एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)				
	2055-पुलिस		54,23,00,000	...	54,23,00,000
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		4,30,00,000	...	4,30,00,000
	कुल		58,53,00,000	...	58,53,00,000
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)				
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं		1,55,00,000	...	1,55,00,000
	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		13,00,000	...	13,00,000
	कुल		1,68,00,000	...	1,68,00,000
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां				
			...	...	...
			...	...	...
			...	...	...
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशु पालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान /पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव				
	2401-फसल कृषि कर्म		8,00,000	...	8,00,000
	2402-मृदा तथा जल संरक्षण		50,00,00,000	...	50,00,00,000
	2403-पशुपालन		30,25,00,000	...	30,25,00,000
	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी		21,70,00,000	...	21,70,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	54,23,00,000
	...	...	...	4,30,00,000
	...	...	...	58,53,00,000

	...	...	...	1,55,00,000
	...	...	...	13,00,000
	...	...	...	1,68,00,000

6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज	140,00,00,000	...	140,00,00,000	140,00,00,000
6501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण	21,00,00,000	...	21,00,00,000	21,00,00,000
कुल	161,00,00,000	...	161,00,00,000	161,00,00,000

	...	...	...	8,00,000
	...	...	...	50,00,00,000
	...	...	...	30,25,00,000
	...	...	...	21,70,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			...	...	...
			...	...	...
		कुल	102,03,00,000	...	102,03,00,000
11	सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले				
		2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	500,00,00,000	...	500,00,00,000
		कुल	500,00,00,000	...	500,00,00,000
12	शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक) /उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास				
			...	...	...
			...	...	...
			...	...	...
14	स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन				
		2210-चिकित्सा तथा लोक- स्वास्थ्य	1106,88,00,000	...	1106,88,00,000
			...	...	...
		कुल	1106,88,00,000	...	1106,88,00,000
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)				

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	200,00,00,000	...	200,00,00,000	200,00,00,000
4406-वानिकी एवं वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	10,00,00,000	...	10,00,00,000	10,00,00,000
कुल	210,00,00,000	...	210,00,00,000	312,03,00,000
	...	...	...	500,00,00,000
	...	...	...	500,00,00,000
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	131,00,00,000	...	131,00,00,000	131,00,00,000
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	40,00,00,000	...	40,00,00,000	40,00,00,000
कुल	171,00,00,000	...	171,00,00,000	171,00,00,000
	...	...	...	1106,88,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	120,00,00,000	...	120,00,00,000	120,00,00,000
कुल	120,00,00,000	...	120,00,00,000	1226,88,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
		2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1,42,00,000	...	1,42,00,000
			...	...	...
		कुल	1,42,00,000	...	1,42,00,000
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण /अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	68,60,000	...	68,60,000
		कुल	68,60,000	...	68,60,000
17	लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन	2041-वाहन कर	3,00,00,000	...	3,00,00,000
		2059-लोक निर्माण-कार्य	22,20,00,000	...	22,20,00,000
		2216-आवास	2,54,12,000	...	2,54,12,000
		3054-सड़क तथा सेतु	110,00,00,000	...	110,00,00,000
		3055-सड़क परिवहन	26,20,00,000	...	26,20,00,000
		...	...	...	...
		...	...	...	...
		...	...	...	...
		कुल	163,94,12,000	...	163,94,12,000
18	सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति / मुद्रण तथा लेखन सामग्री		...	...	...
			...	...	...

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	1,42,00,000
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,15,00,000	...	1,15,00,000	1,15,00,000
कुल	1,15,00,000	...	1,15,00,000	2,57,00,000
	...	...	...	68,60,000
	...	...	...	68,60,000
...		...	...	3,00,00,000
...		...	...	22,20,00,000
...		...	...	2,54,12,000
...		...	...	110,00,00,000
...		...	...	26,20,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	210,70,00,000	...	210,70,00,000	210,70,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	233,93,21,881	...	233,93,21,881	233,93,21,881
7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण	600,00,00,000	...	600,00,00,000	600,00,00,000
कुल	1044,63,21,881	...	1044,63,21,881	1208,57,33,881
4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत /नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन		...	...	...
			...	...	...
			...	...	...
20	नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी				
	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	20,00,00,000	...	20,00,00,000	
	2217-शहरी विकास	154,26,00,000	...	154,26,00,000	
	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	188,30,00,000	...	188,30,00,000	
		...	...	...	
		...	...	...	
	कुल	362,56,00,000	...	362,56,00,000	
	कुल जोड़	2640,73,72,000	...	2640,73,72,000	

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,00,00,000	...	10,00,00,000	10,00,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	70,00,00,000	...	70,00,00,000	70,00,00,000
कुल	80,00,00,000	...	80,00,00,000	80,00,00,000

	...	...	...	20,00,00,000
	...	...	...	154,26,00,000
	...	...	...	188,30,00,000
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	363,40,00,000	...	363,40,00,000	363,40,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000
कुल	393,40,00,000	...	393,40,00,000	755,96,00,000
	2211,19,21,881	...	2211,19,21,881	4851,92,93,881

नोट:-

क्रम संख्या	मद	(राशि रुपये में)
1	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (पहली किस्त)	4851,92,93,881
	अंतर्गत अनुसार उपलब्ध अप्रयुक्त राशि	
2	मांग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 4408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय योजना P-01-11-4408-01-101-99-51-R-V	500,00,00,000
3	मांग संख्या 14 मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजना P-02-14-2210-03-103-84-51-R-V- एनआरएचएम के अंतर्गत अनुदान	100,88,00,000
	बचत राशि का उपयोग	
4	मांग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार योजना P-01-11-2408-01-001-93-51-N-V	500,00,00,000
5	मांग संख्या 14 मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजना P-02-14-2210-03-103-83-51-R-V- एनएचएम के अंतर्गत वस्तु एवं आईएम अनुदान के लिए राज्य का योगदान	100,88,00,000
6	शुद्ध अनुपूरक राशि 2025-26 (पहली किस्त)	4251,04,93,881

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2025-26 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 25 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

